an>

Title: The Speaker made reference to the passing away of Smt. Rajesh Nandini Singh, Member of 15th Lok Sabha and Shri Jagannath Malik, member of 13th Lok Sabha.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को दो पूर्व सदस्यों श्रीमती राजेश नंदिनी सिंह और श्री जगन्नाथ मल्लिक के दुःखद निधन के बारे में सूचित करना है।

श्रीमती राजेश नंदिनी सिंह 15वीं लोक सभा की सदस्य थीं तथा मध्य प्रदेश के शहडोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थीं।

वह कोयला और इस्पात संबंधी समिति तथा महिलाओं को शक्तियाँ प्रदान करने संबंधी समिति की सदस्य थीं।

इससे पूर्व, श्रीमती सिंह वर्ष 1993 से 1998 तक मध्य प्रदेश विधान सभा की सदस्य थीं।

श्रीमती राजेश नंदिनी सिंह का निधन मध्य प्रदेश के शहडोल में 8 मई, 2016 को 59 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री जगन्नाथ मल्लिक 13वीं लोक सभा के सदस्य थे तथा ओडिशा के जाजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

वह कृÂि◌ा संबंधी समिति के सदस्य थे।

इससे पूर्व, श्री मल्लिक वर्ष 1971 से 1994 तक पाँच कार्यकाल के लिए ओडिशा विधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने ओडिशा सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

एक शिक्षाविद, लेखक और प्रकाशक श्री मल्लिक ने उड़िया भाÂा◌ा में कई पुस्तकों की रचना की।

श्री जगन्नाथ मल्लिक का निधन ओडिशा के भुवनेश्वर में 7 अगस्त, 2016 को 79 वÂा◌ाऩ की आयु में हुआ।

हम अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा यह सभा शोकसंतप्त परिवारों को सांत्वना देती है।

यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर के लिए मौन रहेगी।

11.02 hours

(*The Members then stood in silence for a short while*)

â€¦(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : महोदया, उत्तर प्रदेश की तमाम योजनाओं की केन्द्र सरकार को फिक्र नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी कुछ नहीं, जीरो ऑवर में बोलिएगा।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नम्बर 361 - श्री अरविंद सावंत जी।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान) दो, सवा दो वर्ष में पहली बार स्टार्ड क्वेश्चन लगा और वह भी पहले नम्बर पर लगा, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ।

माननीय अध्यक्ष : पहले नम्बर पर आपका प्रश्न लगा है, आप उसका लाभ उठा लो।

â€¦(व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत : महोदया, मेरी लॉटरी लगी है।...(व्यवधान) धर्मेन्द्र यादव जी, मुझे प्रश्न पूछने दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी कुछ नहीं, आप बैठ जाइए। अरविंद सावंत जी, पहले आप क्वेश्चन नम्बर बोलिए।

11.03 hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नम्बर 361 - श्री अरविंद सावंत जी।

SHRI ARVIND SAWANT: Madam Speaker, at the first instance I heartily congratulate the hon. Minister for withdrawing the decision to corporatise major ports. There was a strong resentment among the employees. Some Committees were constituted to modernise the institutional structure of major ports. Earlier also some Committees were appointed. One Rani Jadhav Committee was also constituted. Of late, we heard that an Expert Committee was appointed and that the Committee's Report was accepted by the Ministry and to be submitted to the Cabinet for its approval.

Right now, I have learnt that the Ministry has appointed some private legal firm to decide about amendment in the Major Port Trusts Act, 1963, which is about 50 to 60 years old. The Minister is striving had to augment the business over there but at the same time we are not able to

cope up with the speed as expected. In Mumbai, Sasoon Docks is being modernized; the Bhaucha Dhakka is being mdoernised. I welcome this and again congratulate him for that also. He has already declared around 86 projects. In that also, he has declared one of the major things on which I was insisting for a long time, the deepening of the draft. I do not know whether Mumbai Port is there or not. Right now, the clearance is being delayed at the ports; the berths are old and the mechanism is old. Therefore, I have a question. There are some private ports but in the major ports, there is one at Ennore called Kamarajar Port Limited, which is a corporate port; I do not know how the business is going on there. Therefore, I would like to ask the Minister whether it is true that the Ministry has floated a tender for seeking to hire a legal firm to amend the MPT Act; and if it is so, when is it expected to amend that Act. He has answered that also....(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : अभी आपको दूसरा सप्लीमैंटरी भी पूछना है।

SHRI ARVIND SAWANT: Thank you so much.

श्री नितिन गडकरी : महोदया, वर्तमान स्थिति में पोर्ट में प्रोफैशनल एफिशिएंसी आए, पोर्ट का टाइम कम हो और विश्व की तुलना में देखें, तो जो बड़े दर्जे के पोर्ट बने हैं, उनकी एफिशिएंसी के नॉर्म्स पर भारतीय पोर्ट्स जाएँ, इसलिए कानून में कुछ सुधार करने की आवश्यकता थी। उसको प्रोफैशनली, ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड अधिकार देने की आवश्यकता थी। इसके बारे में वित्त मंत्री जी ने बजट में कहा था कि हम कॉर्पोरेटाइज़ेशन ऑफ पोर्ट्स करेंगे, परंतु बाद में हमारे अनेक सांसदों और ट्रेड यूनियन्स के लीडर्स के मिलने के बाद सरकार ने प्रधान मंत्री से चर्चा की, वित्त मंत्री से भी चर्चा की और उनकी अनुमति से हमने निर्णय किया कि हम कार्पोरेटाइज़ेशन ऑफ पोर्ट्स नहीं करेंगे तथा एविज़िस्टिंग मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट में सुधार करेंगे और उस पोर्ट ट्रस्ट का नाम अथॉरिटी होगा। आपने बहुत सी बातें कही हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पोर्ट्स में शेयर ऑफ प्राइवेट पोर्ट्स केवल .61औ से 2015-16 में बढ़ा है जबकि गवर्नमैंट के पोर्ट्स का शेयर 4.31औ से बढ़ा है। यानी हमारे पोर्ट्स की एफिशिएंसी प्राइवेट पोर्ट्स से भी बढ़ी हुई है। This has happened after ten years of continuously low growth as compared to private ports. In the current year 2016-17, in the first four months, cargo growth at major ports is over five per cent. मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार आने के बाद और प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णय हमने किए, हमने एक फॉरेन कंसलटैंट को हायर किया था जिसने 104 रिकमंडेशंस की थीं। उसमें से 38 हमने इंप्लीमैंट की हैं। उसका परिणाम यह हुआ कि ऑपरेटिंग मार्जिन हमारे पोर्ट्स की 39.18औ से बढ़ी है। यह पिछले 25 साल में ग्रोथ का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। This is a growth of 90.7 per cent compared to 2014-15. मैं आपको बताता हूँ कि पोर्ट का जो प्रॉफिट है, हमारे देश में पहली बार 4309 करोड़ रुपये केवल हमारे पोर्ट्स का प्रॉफिट मिला है और सभी प्रॉफिट में हैं। हम लोग अभी प्राइवेट पोर्ट्स की तुलना में अधिक एफिशिएंट हुए हैं। कभी-कभी हमारे ऊपर एलीगेशन होता है, गुजरात में हमारा कांडला पोर्ट है। आरोप लगाए जाते हैं कि हम प्राइवेट पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। जो गुजरात के प्राइवेट पोर्ट्स हैं, उनका डाउन हुआ है और हमारी एफिशिएंसी बढ़कर प्रॉफिट बढ़ा हुआ है।

जहाँ तक इनवैस्टमैंट की बात है, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज पोर्ट सैक्टर में हमारी सरकार आने के बाद 72787.28 करोड़ की इनवैस्टमैंट आई है और इससे नया इंप्लॉयमैंट पोटैंशियल खड़ा हुआ है। जो सागरमाला प्रोजैक्ट है, उसमें करीब 12 लाख करोड़ रुपये की इनवैस्टमैंट आने की संभावना है जिसमें आप सबका सहयोग चाहिए। उसमें से चार लाख करोड़ रुपये पोर्ट-रोड कनैक्टिविटी और पोर्ट-रेल कनैक्टिविटी पर है। उससे और एफिशिएंसी बढ़ेगी। दूसरी बात ऐसी है कि इसके साथ 27 इंडस्ट्रियल क्लस्टर बना रहे हैं जिसके कारण करीब 8 करोड़ रुपये की इनवैस्टमैंट आएगी।

महोदया, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस सदन ने यूनैनिमसली जो इनलैंड वाटरवेज़ का विधेयक मंज़ूर किया था, उसकी अच्छी शुरुआत कल से हो रही है। कल वाराणसी से कोलकाता के लिए दो शिप रवाना हो रहे हैं और मारूति के साथ हमारा करार हुआ है। गुड़गाँव से मारूति की गाड़ियाँ वाराणसी तक जाएँगी और वहाँ से फिर नॉर्थ ईस्ट, असम और बंगाल तक सब गाड़ियाँ पानी के रास्ते भेजी जाएँगी। कंस्ट्रक्शन मैटीरियल के लिए भी पहली बार गंगा में 1400 टन सामान भेजने को कल हरी झंडी मिलेगी। गंगा में वाटरवेज़ अभी ज़ोरों से शुरू हुआ है और 10 लाख टन जो माल जाता था, हमारा विश्वास है कि 2 साल के अंदर गंगा से 200 लाख टन माल हम भिजवाएँगे, जिससे गंगा के बाजू में जो 40 पोर्ट्स डैवलप हो रहे हैं और मल्टी-मोडल निर्माण हो रहे हैं, वह सभी ग्रोथ सैंटर्स बनेंगे और वहाँ भी इंडस्ट्रियल इनवैस्टमैंट आएगी। हम लोग जो कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं और ट्रस्ट में सुधार कर रहे हैं, लेबर यूनियन के लीडर को भी हमने उसमें प्रतिनिधि के रूप में लिया है। बीच में केरल के लोग कोचीन शिपयार्ड को लेकर मेरे पास आए थे और मैंने उनको समझाया कि हम लोग इसको प्राइवेट इक्विटी के रूप में खड़ा करना चाहते हैं और हमने कहा कि हम इसको कॉर्पोरेशन नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं कोचीन का पोर्ट गुजरात लेकर जाता हूँ। उन्होंने कहा ऐसा मत कीजिए। ...(व्यवधान) मैं आपकी बात बता रहा हूँ। बाद में आपने सपोर्ट किया और उन्होंने भी 2000 करोड़ रुपये मार्केट से खड़े किये और पहली बार देश के इतिहास में हमारे जेएनपीटी पोर्ट ने 3000 करोड़ रुपये, 2.75औ की दर से बैंक से लिए, और लो इंटरस्ट कॉस्ट के कारण इसकी वायेबिलिटी होगी। इस प्रकार 50 हजार करोड़ डॉलर में लोन लेकर पीपीपी मोड में हम इसको करेंगे और इसमें कहीं कॉर्पोरेटाइज़ेशन करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री अरविंद सावंत : अध्यक्ष महोदया, मैं तहेदिल से स्वागत करता हूँ, यह बहुत अच्छी बात है। मेरे दो छोटे से प्रश्न हैं। रेल कार्पोरेशन के उद्घाटन समारोह में मैं था। मैं जानना चाहता हूँ कि इन सारे 86 प्रोजैक्ट्स में मुम्बई पोर्ट के डैवलपमैंट के कितने प्रोजैक्ट्स हैं? जेएनपीटी के बारे में मैं जानता हूँ, उसका बिजनैस भी बढ़ा है और उधर थोड़ा सुधार की भी आवश्यकता है। लेकिन मुम्बई पोर्ट और रेल कॉर्पोरेशन में हम क्या सोच सकते हैं? क्योंकि मुम्बई में रेल से जो यातायात होता है, वह बहुत बड़ी संख्या में यातायात होता है। दिन में यात्री उसमें यातायात करेंगे और रात में आप फ्रेट चलाएँगे। क्या ऐसी कुछ आपकी सोच है? मुम्बई पोर्ट के डैवपमैंट के लिए 86 में से कितने प्रोजैक्ट्स हैं?

श्री नितिन गडकरी : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य जानते हैं कि मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट अब मुम्बई में आया है। वे जैसे मुम्बई में रहते हैं, मैं भी रहता हूँ। डिमैलो रोड से जाना जैसे सज़ा है, यह सब मुम्बई के माननीय सांसद जानते हैं। वह माननीय सदस्य की कांस्टीट्युएंसी है। मुम्बई पोर्ट को पोर्ट के रूप में विकसित करना एक समय तो ठीक था, लेकिन अभी उसके कारण इतने प्रॉबलम हैं कि वहाँ जो ट्रक का ट्रैफिक अगर सायन में जाता है तो मुम्बई में बहुत पॉल्यूशन होता है, एक्सीडैंट्स होते हैं। मुम्बई पोर्ट और कोलकाता पोर्ट को पोर्ट के रूप में बढ़ाना वहाँ के नागरिकों के हित में नहीं है। मैंने आपको आश्वासन दिया था, आप जो चिन्तित हैं कि किसी भी पोर्ट में लिविंग कार्गो 57औ आता है, उसको हम अलाउ करेंगे। हम वहाँ नया मैरीन एरिया बना रहे हैं, जिससे मुम्बई का सौन्दर्य बढ़ेगा। मैंने सिंगापुर और वर्ल्ड लैवल पर प्लान करने के लिए एक टैंडर बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि जैसे दुबई का पोर्ट डैवलप हुआ, वर्ल्ड के रिकार्ड टूटे, वैसे मुम्बई पोर्ट भी बहुत अच्छा बने और उसमें महाराÂष्ट्र सरकार के नियमों के अनुसार जो-जो झोंपड़-पट्टियाँ हैं, गरीब लोग हैं, जितने प्रश्न आपने मेरे पास रखे हैं, कानूनी रूप से सबका समाधान करके हम सॉल्यूशन निकालेंगे और किसी का नुकसान नहीं करेंगे। उनके सहयोग से मुम्बई पोर्ट को वर्ल्ड के एक अच्छे पोर्ट एरिया के रूप में डैवलप करने का विचार है।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी शॉर्ट में उत्तर दें, बहुत से माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं।

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल : माननीय अध्यक्ष महोदया, हमें बहुत हर्Âान है कि गुजरात के बारे में माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया, we are proud of him.

महोदया, मैं अपने क्षेत्र के बारे में भी माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ भावनगर में भी एक पोर्ट है। पूरे एशिया में यह ऐसा पोर्ट है जहाँ लॉक गेट की सुविधा है। सालों से हमारे यहाँ बहुत भारी मात्रा में ट्रांसपोर्टेशन होता था - फर्टिलाइज़र, गेहूँ, लाइम स्टोन और कोयला आदि का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता था और हजारों लोगों को आजीविका भी मिलती रहती थी लेकिन सालों से हमारे भावनगर पोर्ट में मड बहुत भारी मात्रा में जमा हो गया है और कई सालों से ड्रैजिंग नहीं हुई है। इसकी वजह से हम लॉक गेट का भी पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और हमारे यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि हमारे भावनगर पोर्ट का जो मड जमा हुआ है, क्या उसे ड्रेनेज करने की कुछ सोच रहे हैं ताकि हमारे लॉक गेट का पूरी तरह से यूज़ हो सके और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम लगे और हमारे भावनगर के हजारों परिवारों को रोजी-रोटी मिल सके?

श्री नितिन गडकरी : स्पीकर महोदया, मेजर पोर्ट्स जो होते हैं, वे भारत सरकार के अधीन होते हैं। जो माइनर पोर्ट्स होते हैं, वे स्टेट गवर्नमेंट के अन्डर होते हैं। माननीय सदस्य महोदया से मैं निवेदन करूंगा कि यह पोर्ट गुजरात सरकार के अधीन है। फिर भी, गुजरात सरकार को इसे डेवलप करने के लिए अगर भारत सरकार से कोई सहयोग चाहिए तो हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। इसकी मालिकी गुजरात सरकार की है और इसको डेवलप करने का पूरा अधिकार उनका है। फिर भी, उनको अगर इसमें कोई सहयोग चाहिए तो भारत सरकार पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। पर, इसमें अधिकार गुजरात सरकार का है।

SHRI ABHIJIT MUKHERJEE : Madam Speaker, my question is not directly related to ports, but on some related issue.

माननीय अध्यक्ष : अगर इससे संबंधित नहीं है तो मत पूछिए। पोर्ट से ही संबंधित प्रश्न पूछिए।

SHRI ABHIJIT MUKHERJEE: As the hon. Minister has already declared, which I have seen in newspaper, that once the Government makes waterways, a lot of embankments, particularly in the Bengal area, get destroyed. Even yesterday also something has happened there. Has the Minister made any plan to strengthen those embankments?

श्री नितिन गडकरी : मैडम, सम्माननीय सदस्य जो सवाल पूछ रहे हैं, यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। पर, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम कोई भी डी.पी.आर. जब बनाते हैं तो वे डी.पी.आर. बनाने के कंसल्टेंट्स भी भारत में उपलब्ध नहीं हैं। जो 48 डी.पी.आर. प्रोसेस में हैं और 8 डी.पी.आर. पूरे हुए हैं, वे अमेरिका, यू.के., नीदरलैंड के कंसल्टेंट्स हैं और उन्हीं के माध्यम से यह काम हो रहा है। यह पूरा साइंटिफिक रूप में होगा। पर्यावरण के हिसाब से, पोर्ट के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से सभी टेक्नीकल नॉर्म्स का अध्ययन करने के बाद हम इसे करेंगे।

SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA: Madam Speaker, actually we are very happy to hear from the hon. Minister that he is taking a lot of care to develop sea ports. I actually come from the sea area as my constituency is on the coast of theBay of Bengal. The former Prime Minister of the UPA Government declared that there would be a sea port at Ganga Sagar. The present Government also declared earlier that there would be a sea port at Ganga Sagar. Just now, the hon. Minister has stated that he is getting a lot of money from different sources for the Ganga Sagar Port. Of course, I am not clear whether this entire money which he stated just now is meant for the sea port at Ganga Sagar or some other port. During the last four years, a lot of assurances have been given, but nothing is visible there. So, I would like to know from the Minister as to when the actual construction of this port will start.

श्री नितिन गडकरी : मैडम, सागर पोर्ट की चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी, यह बात सच है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी के साथ मेरी कोलकाता में मीटिंग हुई। उनकी सरकार ने भी इसमें इक्विटी लेने के बारे में और सहयोग करने के बारे में हमें आश्वस्त किया और हमारे बीच एम.ओ.यू. भी साइन हुआ।

इस पोर्ट में रेल-रोड कनेक्टिविटी के लिए एक ब्रिज बनाने का काम चल रहा है। वह ऐसा होगा कि रेलवे ब्रिज और रोड दोनों एक के ही ऊपर रहेंगे। उसके डिज़ाइन के लिए कंसल्टेंट बुलाया गया है। मुझे लगता है कि शायद उसकी रिपोर्ट मिल गयी है। उसका टेन्डर भी जल्दी करने का हमारा निर्णय है। मैंने प्रधान मंत्री जी को एक नोट भेजा है कि इसके इनॉग्रेशन, भूमि-पूजन कार्यक्रम के लिए वे एक डेट दें। मुख्यमंत्री ममता जी और प्रधान मंत्री जी दोनों की डेट मिलने के बाद दोनों की उपस्थिति में इसका भूमि-पूजन होगा।

आपने जो पैसे का सवाल पूछा है, इस पोर्ट के लिए कोई पैसा, मैं कह रहा हूं, इसमें से खर्च नहीं हो सकता क्योंकि बंगाल में जो पोर्ट है, उसकी जो कोलकाता की बैलेंस शीट है, वह अच्छी नहीं है। साढ़े चार सौ करोड़ रुपए पेंशन देनी पड़ती है। जहां प्रॉफिट्स है, वहीं हम यह कर सकते हैं। पर, एक बात हम कर रहे हैं कि जो पोर्ट प्रॉफिट में हैं, वे सागर पोर्ट में इक्विटी खरीद रहे हैं, जिससे जो पोर्ट प्रॉफिट में हैं, उनके 100-100 करोड़ रुपए इक्विटी में आएंगे और उनकी फाइनैंशिएल स्ट्रेंथ पर फिर सागर पोर्ट के लिए लोन खड़ा किया जाएगा। सागर पोर्ट, बेसिकली इतना अट्रैक्टिव और वाएबल पोर्ट नहीं है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि बंगाल की सरकार बीच में एक और नया पोर्ट खोलने की बात कर रही है। अगर वह खुल जाएगा तो यह बिल्कुल इकॉनामिकली नॉन-वायबल होगा। बंगाल की भी इसमें मालिकीय है, वे हमारे साथ काम कर रहे हैं। पहले हम इसको ठीक से चलाएं और बाद में में दूसरे पोर्ट को देखें। जल्दी से जल्दी से तीन महीने के अंदर इसका भूमि पूजन करके हम इसका काम शुरू करेंगे। रोड, रेल कनेक्टिविटी जो ब्रिज है, उसके बारे में फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हुई है। उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट को जो लैंड एक्विजिशन करनी है, उसके बारे में भी हमें हेल्प चाहिए। उसके लिए कार्य की शुरूआत हुई है। मुझे लगता है कि इसी साल दिसम्बर के पहले सागर पोर्ट का पूरा काम शुरू हो जाएगा।

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER : Madam Speaker, the Azhikkal Port is a non-major Port in my Constituency in Kerala. Now, the Government of India has proposed to develop the Azhikkal Port under the Sagarmala Project in the Ministry of Shipping.

In reply to one of my questions, the hon. Minister had stated that a Technical Committee has been constituted by the Government of India for development of the Azhikkal Port. The Kerala Government has already allotted Rs. 500 crore in its Budget.

So, I would like to know from the hon. Minister whether the Government of India is likely to take any step to develop the Azhikkal Port.

श्री नितिन गडकरी : मैडम, यह पोर्ट भारत सरकार के पास नहीं है। यह जो आझिकल पोर्ट है, वह माइनर पोर्ट में आता है। कोलावल हमारे पास है, विझिंजम हमारे पास है, हमने उनको अनुमति दी है। ...(व्यवधान) वह भी केरल सरकार पीपीपी में कर रही है। उसको वायबिलिटी गैप के रूप में मेरे अंदाज से शायद 900 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं। यह जो पोर्ट है, पूरा स्टेट गवर्नमेंट के साथ है। उनको अगर इसमें कोई सहयोग चाहिए होगा, तो हम करेंगे, पर अल्टीमेटली पूरा अधिकार उन्हीं के पास है।

माननीय अध्यक्ष : प्रहलाद जोशी जी, शार्ट क्वैश्चन, बहुत देर हो गई है, बहुत सारे प्रश्न हो गए हैं।

â€¦(व्यवधान)

SHRI PRALHAD JOSHI: Madam Speaker, under the leadership of Shri Gadkariji, there is a revolution change in this entire sector. In the entire country, Nitin Gadkari has become Nitin *Roadkari*.ये नितिन रोडकरी बन गए हैं। वे इतने रोड सबको दे रहे हैं, that from Gadkari, he has become *Roadkari*.

In Karnataka, the ports other than Mangalore Port, also need to be developed.

माननीय अध्यक्ष : अब गडकरी पोर्टकरी भी हो जाएंगे।

SHRI PRALHAD JOSHI: There is a natural harbour called Belekeri. It opens a Gateway of Development for Northern part of Karnataka.

HON. SPEAKER: Please put a specific question.

SHRI PRALHAD JOSHI: Yes, Madam. It will connect hinterland to the coastal land. Then, Hubli-Ankola Line Project has also been cleared by the National Green Tribunal.

So, my specific question to the hon. Minister is this. Is he considering to develop the Belekeri Port? Is there any proposal, which he has received form the State of Karnataka?

श्री नितिन गडकरी : मैडम, सम्माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, यह नार्थ कर्नाटक के डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। यह गोवा से ऊपर पोर्ट है और इसका प्लान भी हमने तैयार किया है। 6 हजार करोड़ रुपए हम मेजर पोर्ट के रूप में खर्च करने के लिए भी तैयार हैं। इसका फॉरेस्ट एन्वायर्नमेंट का प्राब्लम था, वह स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियर किया है, ऐसा मैंने सुना है। मैं कर्नाटक के एक्स

चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा जी और सभी पार्टी के लोगों को कहता हूं कि हमें इसे करना चाहिए, इसलिए कर्नाटक सरकार और आप मिलकर एक प्रस्ताव दीजिए। अगर वह प्रपोजल आएगा तो 6 हजार करोड़ रुपए का नार्थ कर्नाटक का इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने का इंजन हो सकता है। इसे भारत सरकार बनाने के लिए तैयार है। We are only waiting for the proposal from the Government of Karnataka. वह मिलने के बाद हम इसको करेंगे।

(Q.362)

श्री जुगल किशोर : महोदया, पीने का पानी उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में भी 1838 स्कीम्स ऐसी हैं जो इस समय चल रही हैं, ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। इसमें 801 स्कीम्स जम्मू में हैं।

महोदया, जम्मू-कश्मीर राज्य ऐसा राज्य है, जहां दूरदराज के क्षेत्र हैं और पहाड़ी क्षेत्र भी हैं। यहां पर फंड्स की ज्यादा जरूरत रहती है। यहां फंड्स की कमी न आए और एनआरडब्ल्यूडीपी के माध्यम से 2015-16 और 2016-17 में कितने फंड्स जम्मू-कश्मीर राज्य को उपलब्ध करवाए गए हैं, ताकि वहां पर पानी की किल्लत न आए?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य की पेयजल के प्रति चिन्ता है। मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि शुद्ध पेयजल आम जनता को प्राप्त हो, इस दाष्Âि से भारत सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जहां तक जम्मू कश्मीर राज्य का सवाल है, निश्चित रूप से यह क्षेत्र देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अगर हम पेयजल आपूर्ति की दÂ िष्ट से प्रतिशत में देखेंगे, तो जम्मू कश्मीर काफी आगे है और वहां पानी की गुणवत्ता भी अच्छी है।

जहां तक बजट एलोकेशन का सवाल है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 2015-2016 में जम्मू कश्मीर के पास शेÂष 75.49 करोड़ रुपये थे, आवंटन 199.46 करोड़ रुपये तय हुआ, 192.12 करोड़ रुपये रिलीज़ किए गए और 222.16 करोड़ रुपये व्यय हुए। 2016-2017 में 09.08.2016 तक जम्मू कश्मीर के पास शेÂष 45.44 करोड़ रुपये थे। इस वर्ष आबंटन 227.51 करोड़ रुपये है, 113.73 करोड़ रुपये रिलीज़ कर दिए गए हैं। अभी व्यय की जानकारी नहीं है, लेकिन 159.17 करोड़ रुपये जम्मू कश्मीर सरकार के पास अभी उपलब्ध हैं।

मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि सामान्यत: जम्मू कश्मीर राज्य में नल-जल से 94.07 प्रतिशत आपूर्ति हो रही है, जबकि भारतवर्ष का औसत प्रतिशत 52.44 है। जम्मू कश्मीर में घरेलू कनैक्शन की संख्या 27.70 प्रतिशत है, जबकि देश का प्रतिशत 14.95 है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अभी डेढ़ सौ करोड़ रुपये से अधिक जम्मू कश्मीर सरकार के पास हैं। उन्हें जब भी आवश्यकता पड़ेगी, केन्द्र सरकार में उनका कोई भी प्रोजैक्ट विलंबित नहीं होगा। केन्द्र सरकार जम्मू कश्मीर की पेयजल उपलब्धता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

श्री जुगल किशोर: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरा लोक सभा क्षेत्र जम्मू, पुंछ बार्डर क्षेत्र है जो पूरा पहाड़ी है। वहां बारिश नहीं होने की वजह से स्रोत सूख जाते हैं। कई और माध्यमों से भी पानी उपलब्ध करवाना पड़ता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जम्मू, पुंछ लोक सभा क्षेत्र के लिए 2016-2017 के लिए कितना धन उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि जो योजनाएं इस समय चल रही हैं, वे समय रहते पूरी हो जाएं, धन की कमी न आए और जम्मू, पुंछ के लोगों को पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में जानकारी चाही है। मेरे पास राज्य की जानकारी थी, लेकिन उनके लोक सभा क्षेत्र में जम्मू, पुंछ, राजौरी और सांबा आते हैं। उनके राज्य ने कितना वितरित किया है, यह जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि हम यहां से जो फंड्स रिलीज़ करते हैं, वह राज्य के लिए करते हैं और राज्य अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य करते हैं। इनका क्षेत्र निश्चित रूप से इस दÂिष्ट से बहुत ही सौभाग्यशाली है। जम्मू में 99.39 प्रतिशत नल-जल आपूर्ति से कवर्ड एरिया है। ऐसे ही पुंछ में 100 प्रतिशत लोगों को नल-जल से आपूर्ति मिल रही है। राजौरी में 51.11 प्रतिशत है, सांबा में 97.88 प्रतिशत है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि उनके क्षेत्र की जो भी योजनाएं वहां चल रही होंगी, वे जल्दी पूरी हों, इस मामले में हम राज्य सरकार को अवगत कराएंगे।

SHRI R. DHRUVANARAYANA: Madam, providing drinking water is the responsibility of both the State Government and the Central Government. If you look at the allocation of funds for drinking water schemes especially the National Rural Drinking Water Project, the allocation has been reducing consistently. Especially for the State of Karnataka, the allocation during the year 2013-2014 is Rs. 897 crore; during 2014-15 it is Rs. 536 crore; during the year 2015-16 it is Rs. 278 crore. During 2016-17, as of now, Rs. 137 crore is released. This shows consistent reduction in the allocation for the Drinking Water Project.

I would like to know from the hon. Minister as to why the allocation has been reduced and also the measures that Government will take to complete the ongoing projects.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदया, सदस्य ने आबंटन के बारे में बात कही है। जब चौदहवें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि राज्यों को 32 परसेंट के स्थान पर 42 परसेंट राशि देनी चाहिए। केन्द्र सरकार ने संघात्मक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और राज्य अपनी योजनाएं आवश्यकताओं के अनुसार ठीक तरीके से बना सके और अपने विवेक का उपयोग राज्य के हित में कर सकें। इसके लिए उनके पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो, इसलिए केन्द्र सरकार ने हू-ब-हू उस रिपोर्ट को स्वीकार किया। आजकल 32 परसेंट की जगह 42 परसेंट पैसा राज्यों को जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे कि इसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। उस समिति में 60-40 के अनुपात में खर्च करने की बात आई। पर्वतीय क्षेत्र जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में 90.10 के अनुपात से खर्च करने की बात आई। स्वाभाविक रूप से जो आबंटन पहले था वह आबंटन 60.40 के अनुपात से घटा है, लेकिन यह नीति आयोग की सिफारिश के कारण संभव हुआ है।

कर्नल सोनाराम चौधरी: अध्यक्ष महोदया, राजस्थान के पश्चिमी जिले में अकाल पड़ता है। राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर पिछले तीन-चार दिनों में भारी बारिश हुई है, कुछ दिनों पहले तक वहां टैंकर से पानी जा रहा था। इसके लिए 28,000 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। मैंने स्टार्ड क्वेश्चन 72 पूछा था, जिसमें आपने जवाब गोलमोल दिया था। वहां के लोग तकदीर वाले हैं क्योंकि एक तरफ इंदिरा गांधी नहर है और दूसरी तरफ नर्मदा नहर आ रही है। उससे संबंधित बाड़मेर और जैसलमेर के लिए पांच हजार रुपये की कई स्कीमें बनी हैं किन्तु राज्य सरकार के पास इतना साधन नहीं है कि वह धन दे सके। आप वहां दस-दस किलोमीटर से पानी लाते हैं। एनआरडीपी स्कीम के अंतर्गत आप पहले पैसा ज्यादा देते थे अभी 32 से 42 किया है। इसमें पहले साढ़े तीस हजार करोड़ रुपये मिलते थे, लेकिन सिर्फ तीन सौ करोड़ रुपये राजस्थान को दिए हैं। जो जिले पानी से पीड़ित है या जहां अकाल पड़ता है, पिछले साठ सालों में पचास अकाल पड़े हैं। क्या मंत्री जी इसके स्पेशल पैकेज पैकेज देंगे या नहीं?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदया, यह सच है कि राजस्थान में पेयजल की कमी है और उसके कारण सांसद महोदय को तकलीफ होना स्वाभाविक है। सामान्यतः पेयजल राज्य का विÂषय है। केन्द्र सरकार उसमें सहायता करती है, तकनीकी मदद उपलब्ध कराती है और जो राशि संभव हो सके उसे उपलब्ध कराने की कोशिश करती है। अगर इस बार भी आप देखेंगे तो 882 करोड़ रुपये राजस्थान को मिले हैं जो देश में सर्वाधिक है और यह राजस्थान की आवश्यकता के अनुरूप ही है।

(Q.363)

श्री चिन्तामन नावाशा वांगा: माननीय अध्यक्ष महोदया, कोयले के बारे में मेरा यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं मंत्री महोदय और भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि एमएमडीआर के अधिनियम, 1957 के अनुसार सेम डे डिलीवरी होने लगी है, परन्तु अभी तक 2015 के 12 और ब्रिज लिंकेजेज के नौ प्रस्ताव पेंडिंग हैं। इनके अलावा और भी कई पेंडिंग प्रपोजल्स हैं। महोदया, मैं

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन पेंडिंग प्रपोजल्स का निपटारा कब तक करेंगे?

श्री पीयूÂष गोयलः अध्यक्ष महोदया, खासकर जो प्राइवेट सेक्टर प्लांट से बिजली ली जाती है, उनके कुछ प्रपोजल्स पेंडिंग हैं। उनके लिए एक नई पॉलिसी कैबिनेट के समक्ष जल्दी जाएगी और उसके एक बार फाइनल होने के बाद पारदर्शी तरीके से कोयले के लिंकेजेज उन प्लांट्स को भी मिल जाएंगे, जिन्हें अभी तक नहीं मिले हैं।

महोदया, वैसे इस देश में साधारणतः किसी भी पॉवर प्लांट में कोयले की कोई कमी कहीं भी नहीं है। अगर किसी के पास लिंकेज नहीं भी हो, तो हम एक स्पेशल ई-ऑक्शन लिंकेज द्वारा पॉवर प्लांट्स को कोयला देते हैं।

महोदया, माननीय सांसद को यह जानकर खुशी होगी कि पिछले वर्ष लगभग 12-13 मिलियन टन कोयला हमने ई-ऑक्शन विंडो के माध्यम से पूरे वर्ष में दिया था, लेकिन इस वर्ष तो अभी तक, लगभग पहले चार महीने में ही 13 मिलियन टन कोयला ई-ऑक्शन द्वारा दिया गया है।

श्री चिन्तामन नावाशा वांगा : अध्यक्ष महोदया, कोयला आपूर्ति के लिए एक मॉनीटरिंग कमेटी है। इसमें कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और रेल मंत्रालय के सदस्य हैं, लेकिन इसमें रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का कोई सदस्य नहीं है। इसी प्रकार से इसमें शिपिंग मिनिस्ट्री का भी कोई सदस्य नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उस मॉनीटरिंग कमेटी में इन दोनों मंत्रालयों का समावेश करने की सरकार की मंशा है?

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कोयले के ट्रांसपोर्ट पर करीब-करीब 40 हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में रेलों एवं अन्य माध्यम का आपस में कम्युनिकेशन कोऑर्डीनेशन नहीं होने के कारण कठिनाई होती है। इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कम्युनिकेशन कोऑर्डीनेशन के लिए मंत्रालय की क्या प्लानिंग है?

श्री पीयूष गोयलः अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने वास्तव में बहुत अच्छा सुझाव दिया है। आज के दिन कोयले का ट्रांसपोर्टेशन अधिकांशतः रेल के माध्यम से होता है, लेकिन माननीय गडकरी जी ने इसमें एक नई बात जोड़ी है कि हम इनलैंड वाटरवेज से कोयला मेन पोर्ट तक बार्जेज द्वारा लाएं और वहां से बड़े शिप से उसे दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत के तट पर ले आएं। इससे जो प्लांट्स अब तक विदेशी कोयले पर निर्भर हैं, उन्हें भी कुछ न कुछ मात्रा में डोमेस्टिक कोल मिल जाएगा और वहां जो नए पॉवर प्लांट्स लगेंगे, उनमें डोमेस्टिक कोल इस्तेमाल हो सकेगा। इस पर शिपिंग मंत्रालय के साथ हमारी लगातार चर्चा चल रही है। माननीय गडकरी जी ने इस बारे में एक बहुत अच्छी और विस्तारित योजना बनाई है। इसके माध्यम से आगे चलकर 100 मिलियन टन से भी अधिक कोयला हम वाटरवेज से मूव कर सकेंगे।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद महोदय की जानकारी के लिए उन्हें बताना चाहूंगा कि जो इफ्रास्ट्रक्चर सब-ग्रुप है, उसमें शिपिंग मिनिस्ट्री के अधिकारी भी आते हैं और उसे हम निर्धारित रूप से जोड़ने का प्रस्ताव भी ले सकते हैं। जहां तक उन्होंने कोयले के इफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दूसरा सवाल पूछा है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सरकार लगातार कोयले का इफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और कोयले की उपलब्धता सुधारने में लगी हुई है।

श्री शंकर प्रसाद दत्ता: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मैंने कोयले के हैडक्वार्टर रांची से एक रिपोर्ट मांगी, तो मुझे बताया गया कि देश में आज कोयले का इतना सारा उत्पादन हुआ है, जिसके कारण वहां बहुत सारा कोयला इकट्ठा हो गया है। चूंकि अभी बरसात का मौसम है, इसलिए उस कोयले में आग लगने की संभावना नहीं है, लेकिन जैसे ही वÂर्षा समाप्त हो जाएगी, उस कोयले में आग लगने की संभावना हो सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोयले के इस स्टॉक को सेल करने के लिए वे क्या कदम उठाएंगे?

श्री पीयूÂष गोयलः माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में दो वर्ष पहले कोयले की कमी के कारण हाहाकर मचा हुआ था, लेकिन अब यह बहुत खुशी की बात है कि देश में कोयले का उत्पादन इतना अधिक हो गया है कि आवश्यकता से भी अधिक कोयला उपलब्ध है।

महोदया, दो वÂर्ष पहले देश में यह चिन्ता बनी रहती थी कि बिजली कब बन्द हो जाएगी, क्योंकि बिजलीघरों के पास कोयले के क्रिटिकल स्टाक्स थे। कुछ कोयले के प्लांट्स तो ऐसे थे, जहां सुबह कोयले का वैगन आता था और दोपहर में बिजली बननी शुरू होती थी।

महोदया, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद दूंगा कि वे इस बारे में इतनी चिन्ता करते हैं। देश में कोयला बहुत अधिक उपलब्ध है। मैं समझता हूं कि इस देश के लिए अधिक कोयला होना, अच्छा है। देश की ऊर्जा की सुरक्षा के लिए भी यह अच्छा है। माननीय सांसद की यह बात बहुत सही है कि बहुत एक्सेस स्टॉक होने से भी आग लगने का रिस्क हो सकता है, लेकिन मैं विश्वास दिलाऊंगा कि कोई भी खदान एक्सेस स्टॉक नहीं बनाती है। वह अपनी सेल के हिसाब से, अपने प्रोडक्शन को मॉनीटर कर के उतना स्टाक रखती है, जितनी उसके पास केपेसिटी है, जितना वह मैनेज कर सकती है।

महोदया, माननीय सदस्य ने इसके साथ-साथ यह भी पूछा है कि कोयले की सेल बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमने कोयले के लिंकेजेज की प्रक्रिया बहुत पारदर्शी तरीके से शुरू की है। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, लोहा वगैरह जो बनाते हैं और जो कैपटिव पॉवर प्लांट्स, इन सबकी लिंकेजेज को हमने पारदर्शी तरीके से कोयला ऑक्शन किया है, जिसमें हम किसी का कोई फेवर नहीं कर सकते हैं और न किसी को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम इस प्रकार संभवतः 25-30 टन मिलियन टन कोयला लॉंग टर्म लिंकेजेज के माध्यम से ऑक्शन कर चुके हैं। हम आगे चलकर बिजलीघरों के लिए भी एक पारदर्शी तरीका ढूंढने में लगे हुए हैं। इसके अलावा हमने कंटीन्यूअसली, स्पेशल ई-ऑक्शन, फॉरवर्ड ई-ऑक्शन, एक्सक्लूसिव ई-ऑक्शन, अलग-अलग क्षेत्रों के लिए नीलामी द्वारा कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराते हैं। आज देश में हमारे सामने यह संकट उत्पन्न हो गया है कि बिजलीघर के लोग कहते हैं कि हमें कोयला और मत भेजो।

महोदया, हम उदय योजना एवं बाकी बिजली के क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों को मॉनीटर करते हैं। इसी संबंध में कल ही, पूरे देश के पॉवर सैक्रेट्रीज की एक बैठक दिल्ली में हुई थी। मैंने उस बैठक में बार-बार पूछा कि कोयले और बिजली से संबंधित कोई समस्या, कोई दिक्कत है, तो बताइए। तब मुझसे सभी सैक्रेट्रीज की तरफ से कहा गया कि कोयला अधिक हो गया है। अब और अधिक कोयला मत भेजिए।

श्री आर.के.सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले तो मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अमूमन फीडबैक यही है कि देश में पॉवर जनरेशन के लिए कोयले की कमी नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, बिहार के बरौनी में 250 मेगावाट के दो प्लांट बनकर तैयार हैं और बिहार सरकार ने उनके ब्रिज लिंकेज के लिए आवेदन दिया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उस पर वे कब तक आदेश कर देंगे?

श्री पीयूÂष गोयलः माननीय अध्यक्ष महोदया, जहां तक सरकारी ब्रिज लिंकेजेज देने का सवाल है, उसमें कहीं कोई संकट नहीं है। बरौनी के बारे में, मुझे जो इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके अनुसार उनकी रिक्वेस्ट 15 जून, 2016 को ही आई है और वह प्रोसेस में है। उसमें अनुमति देने में हमें कोई कठिनाई नहीं है।

(Q.364)

श्री नारणभाई काछड़िया: माननीय अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वैसे तो माननीय मंत्री महोदया ने मेरे प्रश्न का बहुत ही विस्तार से उत्तर दिया है, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हम सभी जानते हैं हमारा देश, गांवों का देश है, जहां प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र और उपक्षेत्र की अपनी-अपनी व्यक्तिगत शैली और परम्परा है। हमारा देश में प्राचीन काल से ही हस्तशिल्प वस्तुओं का उत्पादन होता रहा है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए आजीविका का अवसर प्रदान करता रहा है। हस्तकला की व्यापक रेंज, हमारे देश की विविधता एवं कलात्मकता को दर्शाता है। हमारा स्वदेशी हस्तशिल्प हमारे जीवन का एक पोÂिषत पहलू है। हैंडीक्राफ्ट हमारे समाज के प्राचीन जीवन के लिए मुख्य उद्योग रहा है, लेकिन आज हमारे शिल्पकार आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होने एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े होने के कारण वे अपने हस्तशिल्प उत्पादन को दुनिया में डिमांड होने के बावजूद, जरूरतमंदों तक वहां नहीं पहुंचा पाते। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री नारणभाई काछड़िया : महोदया, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। हैंडीक्राफ्ट्स निर्यात को कस्टम संबंधी बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। क्या सरकार हमारे देश के ग्रामीण हस्तशिल्प उत्पादकों के डिजीटल मार्केट प्लेस के बारे में तथा छोटे एवं मध्यम हस्तशिप्ल उद्योगों में कार्यरत शिल्पकारों को जागृत एवं शिक्षित करने अथवा शिल्पकारों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार के पास कौन-कौन सी योजनाएं प्रस्तावित हैं, जिससे वे अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ अपने हस्तशिल्प उत्पादन को डिजीटल मार्केट प्लेस पर ला सकें?

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद ने सही चिंता व्यक्त की है कि जो शैक्षिक चुनौतियां शिल्पकारों के परिवारों के समक्ष हैं, उन चुनौतियों के समाधान के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। मैं बताना चाहती हूं कि हमने 7 अगस्त को राष्Âट्रीय हस्तकरघा दिवस मनाया, तब एनआईओएस और इग्नू के साथ मिलकर विशेÂष रूप से बुनकर परिवारों के लिए शैक्षिक व्यवस्था की है। मंत्रालय की शिल्पकार और हस्तशिल्पी भाई और बहनों के लिए भी ऐसी सुविधा प्रदान करने की इच्छा है।

जहां तक शिल्पकार भाई और बहनों को डिजिटल मार्किट की सुविधा पहुंचाने की बात है, माननीय सदस्य ने इसकी चिंता व्यक्त की है, उत्तर में लिखा है कि कॉटेज इम्पोरियम, हैण्डलूम और हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट कार्पोरेशन के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग होती ही है। इसके साथ ही अब हमारा प्रयास रहेगा कि इंडीविजुअल शिल्पकारों को कोई सुविधा प्रदान कर सकें ताकि वे डायरेक्टली ऑनलाइन मार्किट सर्विसिस से अपने आपको कनैक्ट कर पाएं।

श्री नारणभाई काछड़िया: माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में हस्तशिल्प वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ावे हेतु कार्य क्षेत्र में विस्तार के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से इसी संबंध में माननीय मंत्री जी से सीधा प्रश्न है कि शिल्पकारों के ई-बाजार में प्रवेश हेतु सरकार द्वारा जिला स्तर पर सहायता केंद्र, जहां शिल्पकारों को ई-बाजार से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी एवं ई-बाजार पोर्टल रियायती दर पर बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हस्तशिल्पकारी की बहुत सी वस्तुएं, जो सिर्फ हस्तकला से ही बनती हैं, मशीन, फैक्ट्री या कारखाने में नहीं बनती हैं, सरकार ऐसे हस्तशिल्पों को स्वावलंबी बनाने हेतु क्या कार्यक्रम बना रही है?

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने विशेÂष तौर पर जिलावार व्यवस्था की चर्चा की है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहती हूं कि वर्तमान में हैण्डीक्राफ्ट्स की मार्केटिंग की दÂिष्ट से देश में 52 सैंटर्स ऑलरेडी स्थापित हो चुके हैं। इन सैंटर्स के माध्यम से शिल्पकार कैसे ऑनलाइन सर्विसिस से जुड़ पाएं, यह हमारी अग्रिम सोच भी है और प्रयास भी है। इसके साथ ही एक इंटीग्रेटिड प्रोग्राम प्रदेश सरकार और उनकी एजेंसियों के साथ चलता है, इंटीग्रेटिड डैवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ हैण्डीक्राफ्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारा प्रदेश सरकारों से विशेÂष निवेदन है कि इंडीविजुअल शिल्पकारों को ऑनलाइन मार्केटिंग की सेवा से जोड़ पाएं।

HON. SPEAKER: Shri Manoj Tiwari - Not present

Shri Baijayant Jay Panda

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA: Thank you, Madam Speaker, the hon. Minister has given a detailed response. I compliment her for the information she has given in reply to part (a) of the Question about the various initiatives being taken to promote handicrafts in the country. But, as regards part (b) and part (c), I have a question to ask.

Madam, there is one area, 'the linkage to marketing', which at least can provide maximum benefits to the handicraft sector. The answer says that there are deficiencies in the proposal and it has to be done again. I would like to point out to the hon. Minister that it is not necessary for the Government to replicate everything which already exists.

As the hon. Minister is aware, e-commerce and digital market place in the country have had explosive growth over the last few years. Last year I had an opportunity when some handicrafts people contacted me to get themselves listed on e-commerce sites like Snapdeal. Through my intervention, they got listed and today, they have immense growth in their sales.

Similarly, there are others like Flipkart, Amazon, and in Bhubaneswar there is a new start up called *dhumri.com*, which is providing this linkage to handicrafts from across India, particularly from Odisha. I ask the hon. Minster that instead of spending time, energy and effort from the Government and having a large budget, it is much simpler, much cheaper and much faster if her Ministry can provide the facilities to existing handicraft workers to simply get listed on the existing e-commerce platforms. Will she commit to doing that?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Madam Speaker, the point presented by the hon. Member is well taken and, I think, very progressive. This is an attempt that I have made in the handloom sector on the 7th of August. We have directly linked our weavers individually to various e-commerce sites. We have had immense amount of support from institutions like Amazon and Flipkart, but other than that, the small start-ups, as the hon. Member rightly pointed out, in fact, have been more productive in their engagement with weavers because they have gone from one cluster or one set of weavers to another and individually engaged with them.

A similar exercise, I totally agree, can be undertaken for the handicraft sector as well. I, possibly for the first time, assure the hon. Member of the same.

SHRI V. ELUMALAI: Today, the handloom sector is facing closure due to the problem of poor marketing of their produce. This sector is also not able to realise the profit on their produce because of low demand from the public. Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether the Government has any plan to extend a helping hand to the handloom sector to market their produce as well as to provide any support to it.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: With regard to the hon. Member's question and the challenges that are there before me in the handicraft sector, I will not say that the sector is devoid of challenges. There are certain challenges that have come forth in my observation in the Ministry. Many a times, we have the handicraft sector which is clustered and then the individual handicraft artisan is not getting benefit, whether it is from a design perspective, a technology intervention perspective, marketing perspective or, as the hon. Member had earlier said, with regard to even online marketing services perspective.

I have observed, Madam Speaker, in my tenure in this Ministry that from the 2005 onwards to 2015, over 24 lakh artisans in our country have been given individual ID cards and the ID cards expire on December 30, 2016. Our endeavour now, through the Government, is to ensure that the individual artisans are not only identified on the basis of the craft that they undertake but also with regard to providing them individual economic benefit, individual educational benefit, marketing benefit and design benefit. It is my endeavour to do this not only at the Central Government level but also in conjunction with the State Governments because the State Governments are extremely keen to ensure that handicraft artisans and weavers across the country get the long due justice that they truly deserve.

My endeavour is that in that process, even if the Members of Parliament want to come forth with their advice or suggestion, I will be more than happy to include them in those conversations, those initiatives and those efforts.

(Q.365)

श्रीमती नीलम सोनकर : अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे मूल प्रश्न का बहुत अच्छे ढंग से जवाब दिया। मैं उनसे यह पूछना चाहती हूं कि खानों की निरीक्षण की गुणवत्ता क्या है? पिछले तीन-चार वर्षों में खानों के निरीक्षण में क्या कमियां पायी गयी हैं और उनके सुधार के लिए क्या कार्य किये गये हैं?

श्री पीयूÂष गोयल : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या और यादव जी, दोनों को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने अपना प्रश्न इतने विस्तार से पूछा कि उससे मेरी जानकारी भी खनन क्षेत्र में काफी बढ़ गई।

अभी माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा, उस बारे में निरीक्षण लगातार चलते रहते हैं। केन्द्र सरकार की भी संस्थाएं निरीक्षण करती हैं। हमारे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन्स सेफ्टी लेबर के एंगल से उनकी सुरक्षा, वेल्फेयर, स्वास्थ्य समेत अलग-अलग विÂषय जो माइन से सेफ्टी से जुड़े हुए हैं और माइन्स एक्ट में जो भी प्रावधान हैं, उनका निरीक्षण करते हैं। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स दूसरी केन्द्र की संस्था है, जो मिनरल कन्जर्वेशन एंड डेवलपमैंट रूल्स के तहत जो माइनिंग हो रही है, वह क्या सही साइंटिफिक तरीके से हो रही है? जहां माइनिंग क्लोजर होना है, वह ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऐसा न हो कि माइन्स हैपहैजर्ड मैनर में हो जिससे आगे चलकर लोगों की सेफ्टी के लिए या खनन की सेफ्टी में बाधा आए। कोल कंट्रोलर ऑरगेनाइजेशन का काम रहता है कि वह यह देखे कि Colliery Control Rules, 2004 Coal Mines (Conservation and Development) Amendment Rules, 2011 में किस प्रकार से क्वॉलिटी मेनटेन हो रही है। कोयले के क्षेत्र में जो जो प्रावधान हैं, कोल सेफ्टी, माइन्स क्लोजर में जो रॉयल्टी भरनी है, सैस या एक्साइज ड्यूटी भरनी है, इन सब चीजों का निरीक्षण कोल कंट्रोलर करता है। एक स्टेट लैवल पर डाइरेक्टर जनरल ऑफ माइन्स सेफ्टी हैं, जो देखते हैं कि जो रुटीन स्टेट के विÂषय हैं, माइनिंग प्लान के हिसाब से उनकी माइनिंग हो रही है कि नहीं, टैक्सेज ठीक से पे हो रहे हैं कि नहीं, वह यह देखते हैं। इन सब चीजों के बारे में अधिकांश जगहों पर यह पाया गया है कि कुछ एरियाज हैं जहां पर तकलीफ थी, बाकी साधारणत: कोयले की खदानों में या बाकी मिनरल्स का खनन ठीक से होता है। उन क्षेत्रों पर विशेÂषकर ध्यान दिया जा रहा है कि वहां पर गलत तरीकों को कैसे रोका जाए?

श्रीमती नीलम सोनकर : माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है, लेकिन मैं यह जानना चाह रही हूं कि जिन खानों की सुरक्षा के लिए घटनाएं घट रही थीं, क्या उसमें भी अब तक कोई कार्यवाही की गई है? खानों में जो व्यक्ति कार्य करते हैं, यदि कार्य करते समय कोई घटना उनके साथ घट जाती है और शारीरिक रूप से यदि वे विकलांग हो जाते हैं तो क्या उनके लिए भी कोई योजना या कोई व्यवस्था की गई है जिससे वे अपना जीवन-यापन कर सकें?

श्रीळ पीयूÂष गोयल : माननीय अध्यक्ष जी, जो सेफ्टी है, वह मेरे ख्याल से खनन क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। हमारा लगातार यह प्रयास रहता है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और ज्यादा कड़े बनाये जाएं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी भारत में लाया जाए। साधारणत: सेफ्टी का रिकार्ड सुधर रहा है और माइनिंग आउटपुट बढ़ रहा है, लेकिन जो दुर्घटनाओं की संख्या है या अगर किसी को दुर्भाग्यपूर्ण क्षति होती है, उनकी संख्या में कमी आ रही है, लेकिन हमारी सरकार का मानना है कि हमें ज़ीरो टॉलरेंस की तरफ जाना होगा। कैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऐसे लाए जाएं कि किसी भी व्यक्ति के न जीवन को और न ही उसके शरीर के किसी भी अंग को कोई क्षति पहुंचे। अगर इसमें किसी को कोई नुकसान होता है तो उसके सैट रूल्स, प्रावधान और कानून हैं। कंपनियों के अपने रूल्स भी रहते हैं। उनके हिसाब से उन पर पूरा ध्यान दिया जाता है।

श्री लक्ष्मी नारायण यादव : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बहुत ही विस्तृत और अच्छा उत्तर दिया है। मेरी शंका थी कि जो प्राइवेट और कैप्टिव माइन्स हैं, संभवत: उनका निरीक्षण नहीं हो रहा होगा, परंतु देखकर लगता है कि सबका निरीक्षण हो रहा है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा और एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि इतनी एक्सपेंसिव एजेंसीज हैं जो माइन्स का निरीक्षण करती हैं, इसके बावजूद भी कई जगहों पर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है?

श्री पीयूÂष गोयल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि हमारे देश में इतनी तीव्रता से पहले कौशल विकास पर ध्यान नहीं दिया गया था और कई लोग गांवों से आते हैं। गांवों से आकर काम करते थे और उनको उस मात्रा में ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। उसके कारण भी कई जगह एक्सीडेंट्स हो जाते थे। कुछ ऐसा भी हो रहा है कि जो ईक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, वे पुराने चल रहे थे, उनकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता था। कई अकस्मात एक्सीडेंटल कारणों से भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उपकरणों को आधुनिक किया जाए। कौशल विकास मंत्रालय के साथ कोयले के क्षेत्र में लगभग सवा दो लाख कर्मचारी, कांट्रैक्ट वर्कर्स और कर्मचारियों के बच्चे, इन तीनों को मिलाकर लगभग सवा दो लाख व्यक्तियों का कौशल विकास का कार्य और उनके सर्टिफिकेशन का कार्य शुरु किया है। इसी प्रकार से खनन क्षेत्र में भी और ज्यादा कौशल विकास और उपकरण इपूट करने पर हम ध्यान देंगे।

SHRI C.K. SANGMA: Madam Speaker, I think our hon. Minister is aware that the coal mining in Meghalaya has been stopped in the past two years because of the NGT bank and that is primarily because of the safety measures, especially to do with rat-hole mining. Meghalaya loses almost about Rs. 700 crore in terms of Government revenue, and about Rs. 5,000 crore in terms of money coming into the economy of the State. So, it is a huge economic loss to us. The NGT ban is there mainly because of the rat-hole mining that is taking place.

My specific point to the hon. Minister is that other technology might not be possible in our region.Is there any way that the Government of India along with the NGT planning to find a solution where we can ensure that the mining continues and the State does not lose revenue and at the same time, ensure the safety of the people working there? It is a very important issue. I will be very thankful to the hon. Minister if he can give some direction in that line.

SHRI PIYUSH GOYAL: Yes, Madam, I fully appreciate the concerns of the young new Member from Meghalaya. He has actually been very much concerned about this subject for nearly two and a quarter years. Ever since I became a Minister, we have had a number of interactions with the hon. Member. I must acknowledge that the way rat mining was being carried out in Meghalaya was truly a matter of concern.

The National Green Tribunal has very rightly put a stop to that. It has tried to have the State Government address those issues. The Ministry of Coal was asked to examine any proposal that the Government of Meghalaya puts up to us to improve the quality of mining there, set in safety standards and ensure the health, safety and well-being of the people employed in the mining activity in Meghalaya.

The Ministry of Coal has very recently received a proposal on 28th of July, barely ten days ago, from the Government of Meghalaya. While the time that the NGT had given has already expired, however, we have approached the NGT for some more additional time while our coal companies will study the proposal of the Government of Meghalaya. We are sure that we will be able to improve the mining standard.

I would only urge the hon. Member to help us ensure that the Government of Meghalaya also, because that is the implementing agency at the local level, ensures that the mining is carried out with the highest levels of safety particularly when all Members are concerned about the safety standards.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री धर्मेन्द्र यादव, शैलेश कुमार, के, सुरेश, पी. करुणाकरन, एंटो एन्टोनी और प्रेम सिंह चन्दूमाजरा जी से विभिन्न मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं तथापि इनके लिए कार्य में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। ये मामले अन्य अवसरों पर उठाये जा सकते हैं।

अतः मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की है।

12.02 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE